कम्प्यूटर पत्र सं० - 1920044 दि० 01-08-2019

पत्र सं0–विधि–4( )2019–20/श्री राम प्रकाश ज्वा0कमि0(कार्पो0)मु0न0/ 201 /वाणिज्य कर।

कार्यालयः: कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0।
(विधि अनुभाग)
लखनऊ, दिनांक 01 अगस्त, 2019

समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक),
समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्पोरेट सर्किल),
समस्त डिप्टी कमिश्नर (कर निर्धारण),
समस्त असिस्टेण्ट कमिश्नर (कर निर्धारण),
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी (कर निर्धारण)

श्री राम प्रकाश, ज्वाइण्ट कमिश्नर (कारपोरेट) वाणिज्य कर, मुजफ्फरनगर द्वारा अपने पत्र सं0–12/ज्वा0कमि0(कारपो0सर्किल)वा0क0/मु0नगर/19–20/दिनांक– 23.04.2019 से राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति सं0–520–2017– Customs, New Delhi दिनांक 30 जून, 2017 के क्रम में राज्यकर प्रशासन के क्षेत्राधिकार में पंजीकृत इकाईयों विशेष रूप से पेपर की निर्माता इकाईयों द्वारा मांगे जा रहे "End Use Certificate" को जारी किये जाने हेतु मुख्यालय से मार्गदर्शन हेतु अनुरोध किया गया है।

समसंदर्भ में अवगत कराना है कि देश के बाहर से आयात किए गये कच्चे माल, कन्ज्यूमेबिल्स आदि के सम्बंध में "End Use Certificate" जारी किये जाने की व्यवस्था Custom tariff Act-1975 के अन्तर्गत है। Custom tariff Act-1975 के अधीन राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार (CBIC Custom Wing) द्वारा जारी विज्ञप्ति सं0–520–2017–Customs, New Delhi दिनांक 30 जून, 2017 के प्रस्तर सं0–30(b) में राज्य कर प्रशासन के अधिकारियों द्वारा जारी "End Use Certificate" को भी मान्यता प्रदान की गयी है।

उल्लेखनीय है कि राज्य कर प्रशासन के अधिकारी Custom tariff Act-1975 के प्राविधानों के तहत कार्यवाही हेतु Empower नहीं किये गये हैं। ऐसी स्थिति में कई राज्यों की ओर से यह प्रकरण जी0एस0टी0 काउंसिल द्वारा गठित "लॉ कमेटी" को विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये जाने हेतु संदर्भित किया गया है तथा "लॉ कमेटी" के समक्ष विचाराधीन है।

उक्त वर्णित परिस्थितियों में राज्य कर प्रशासन के अधिकारियों के स्तर से Imported Goods के संदर्भ में "End Use Certificate" जारी किये जाने के सम्बंध में लॉ कमेटी/जी0आई0सी0 अथवा जी0एस0टी0 काउंसिल जैसे सक्षम स्तर से विस्तृत दिशा–निर्देश जारी होने की प्रतीक्षा किया जाना औचित्यपूर्ण होगा।

उक्त संदर्भित प्रकरण में सक्षम स्तर से विस्तृत दिशा–निर्देश प्राप्त होने के उपरान्त तदनुरूप अवगत कराया जायेगा।

यह पत्र कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0 के अनुमोदन के उपरान्त प्रेषित किया जा रहा है।

(संजय कुमार पाठक)
ज्वाइण्ट कमिश्नर (विधि/जी0एस0टी0) वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।